

आय .सी .एम .आर .- राष्ट्रीय प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
ICMR- National Institute for Research in Reproductive and Child Health
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद
(Indian Council of Medical Research)
जे .एम .पथ, परेल, मुंबई - 400012
J.M. Street, Parel, Mumbai-400012.

फ. सं. C-11015/122/2025-Admn/E-office 249595

दिनांक / Date: 02.02.2026

कार्यालय ज्ञापन / OFFICE MEMORANDUM

विषय: आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच में तकनीकी कर्मचारियों के कुछ मौजूदा पदनामों के लिए एकीकृत भर्ती और मूल्यांकन योजना (आईआरएस) के कार्यान्वयन का स्पष्टीकरण और समीक्षा - संबंध में। Clarification and Review of Implementation of Integrated Recruitment and Assessment Scheme (IRAS) for some existing designations of Technical Staff at ICMR-NIRRCH – regarding

आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ (एनआईआरआरसीएच) में तकनीकी कर्मचारियों हेतु एकीकृत भर्ती एवं मूल्यांकन योजना (IRAS) के क्रियान्वयन के क्रम में, आईसीएमआर प्रतिनिधियों (Delegates) के साथ 05.01.2026 आयोजित ऑनलाइन चर्चा में समूहों तथा विद्यमान पदनामों (Existing Designations) के अंतर्गत IRAS की प्रयोज्यता पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। In continuation of the implementation of the Integrated Recruitment and Assessment Scheme (IRAS) for Technical Staff at ICMR-National Institute for Research in Reproductive & Child Health (NIRRCH), and pursuant to the online discussion held with the ICMR Delegates on 05.01.2026, the matter regarding coverage of Groups and existing designations under IRAS was examined in detail.

2. उक्त चर्चा के दौरान आईसीएमआर प्रतिनिधियों द्वारा IRAS की सीमा एवं प्रयोज्यता के संबंध में स्पष्ट एवं विस्तृत स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। यह स्पष्ट किया गया कि IRAS केवल अनुमोदित IRAS दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परिभाषित तकनीकी पदों पर ही लागू है तथा गैर-तकनीकी/सहायक प्रकृति के कुछ पदों पर लागू नहीं होती है। During the said discussion, comprehensive clarifications were provided by the ICMR Delegates with regard to the scope and applicability of IRAS. It was categorically clarified that IRAS is applicable only to technical posts as defined under the approved IRAS guidelines and does not extend to certain categories of staff whose designations are non-technical in nature.

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित पदनाम IRAS के दायरे में नहीं आते हैं और इसलिए उक्त योजना के अंतर्गत मूल्यांकन एवं पदोन्नति हेतु अर्ह नहीं हैं: Accordingly, it has been clarified that the following designations do not fall under the purview of IRAS and are therefore not eligible for assessment and promotion under the said scheme:

1. स्वीपर (Sweeper) – 8 संख्या / Nos
2. मेंटेनेंस-कम-मैकेनिक (Maintenance-cum-Mechanic) – 1 संख्या / Nos
3. हाउसकीपर (Housekeeper) – 1 संख्या / Nos
4. चपरासी (Peon) – 1 संख्या / Nos

4. यह संज्ञान में आया है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण प्राप्त होने से पूर्व, कुछ ऐसे कर्मचारियों के संबंध में, जो उपर्युक्त गैर-आवृत्त श्रेणियों से संबंधित हैं, प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश अनजाने में IRAS के अंतर्गत जारी कर दिए गए थे। It is observed that initial assessment orders under IRAS were inadvertently issued in respect of certain staff belonging to the above-mentioned non-covered categories, prior to receipt of the above clarification.

5. आईसीएमआर प्रतिनिधियों से प्राप्त स्पष्ट स्पष्टीकरण के आलोक में तथा IRAS दिशा-निर्देशों के कठोर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु, ऐसे अर्हता-विहीन कर्मचारियों के संबंध में जारी किए गए सभी प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश एतद्वारा प्रारंभ से ही निरस्त किए जाते हैं। In view of the explicit clarification received from the ICMR Delegates and to ensure strict adherence to the IRAS guidelines, the initial assessment orders issued in respect of such ineligible staff are hereby cancelled.

6. जिन कर्मचारियों के मामलों में प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश जारी किए गए थे तथा जिन्हें अब निरस्त किया जा रहा है, उनकी सूची परिशिष्ट-I (Annexure-I) के रूप में इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न है। The list of staff in whose cases the initial assessment orders were issued and are now cancelled is placed at Annexure-I to this Office Memorandum.

7. यह कार्यालय ज्ञापन प्रशासनिक शुद्धता, IRAS के समान एवं विधिसम्मत क्रियान्वयन तथा सक्षम प्राधिकारी/आईसीएमआर प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के अनुपालन में जारी किया जा रहा है। निरस्त किए गए मूल्यांकन आदेशों के आधार पर कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा। This Office Memorandum is issued in the interest of administrative correctness, uniformity in implementation of IRAS, and in compliance with the clarifications provided by the competent authority/ICMR Delegates. No claim whatsoever shall lie on the basis of the cancelled assessment orders.

8. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Competent Authority.

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/Sr. Administrative Officer
निदेशक कृते / For Director

प्रति / To

Listed Technical Staff in Annexure I/ अनुबंध I में सूचीबद्ध तकनीकी कर्मचारी

प्रतिलिपि / Copy to:

1. पीए निदेशक कार्यालय / PA to Director, ICMR NIRRCH
2. आईसीएमआर एनआईआरआरसीएच लेन /ICMR NIRRCH LAN

परिशिष्ट-I/ Appendix-I

कार्यालय जापन के संदर्भ में फ. सं. C-11015/122/2025-Admn/E-office 249595 दिनांक / Date: 02.02.2026

आईसीएमआर-एनआईआरआरसीएच में IRAS के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से जारी एवं पश्चात् स्पष्टीकरण के उपरांत निरस्त किए गए मूल्यांकन आदेशों की सूची List of assessment orders initially issued under IRAS in ICMR-NIRRCH and cancelled after clarification

क्रम सं. Serial No	कर्मचारी का नाम Name of the employee	पदनाम Designation	प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश संख्या एवं दिनांक Initial appraisal order number and date	निरस्तीकरण का कारण Reason for cancellation
1	श्री आर. डी. शिंदे Mr. R. D. Shinde	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8071 Date- 19.12.2025	IRAS के अंतर्गत आवृत्त नहीं Not covered under IRAS
2	श्री एस.के.सकपाल Mr. S. K. Sakpal	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8016 Date- 19.12.2025	
3	श्री आर. आर. सैंडिस Mr. R. R. Sandis	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8060 Date- 19.12.2025	
4	श्री पी. आर. चव्हाण Mr. P. R. Chavan	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8007 Date- 19.12.2025	
5	श्री जी. सी. पाटिल Mr. G. C. Patil	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8062 Date- 19.12.2025	
6	श्री एस.बी. बावदाने Mr. S. B. Bavdane	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8000 Date- 19.12.2025	
7	श्री ए. डी. भांडवलकर Mr. A. D. Bandwalkar	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8069 Date- 19.12.2025	
8	श्री अमर गोडे Mr. Amar Gode	स्वीपर (Sweeper)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/7999 Date- 19.12.2025	
9	श्री ए. एच. हांकरे Mr. A. H. Hankare	चपरासी (Peon)	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8078 Date- 19.12.2025	
10	श्री वी. जी. राणे Mr. V. G. Rane	मेंटेनेंस-कम-मैकेनिक Maintenance-cum-Mechanic	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8024 Date- 19.12.2025	
11	श्रीमती वसंती राजन Mrs. Vasanthi Rajan	हाउसकीपर Housekeeper	No. C-11015/122/2025-Admn/e-office 249595/8076 Date- 19.12.2025	

टिप्पणी: Comment:

उपरोक्त कर्मचारियों के संबंध में जारी प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश, ICMR प्रतिनिधियों से प्राप्त विस्तृत स्पष्टीकरणों के प्रकाश में, रद्द कर दिए गए हैं। The preliminary assessment orders issued in respect of the above mentioned employees, in the light of detailed clarifications received from ICMR representatives, have been cancelled.